

सं. 50: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिसंबर 2025 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11880	1216	-	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3145	8	-	11900
3	असम	8488	96	-	0
4	बिहार	15288	1204	-	16500
5	छत्तीसगढ़	8777	1022	-	15499
6	गोवा	1250	438	-	0
7	गुजरात	16342	546	-	4000
8	हरियाणा	2783	1814	-	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	56	56	-	0
11	झारखंड	3198	-	805	0
12	कर्नाटक	22053	2485	-	30686
13	केरल	3452	249	-	0
14	मध्य प्रदेश	-	1362	-	1300
15	महाराष्ट्र	74887	3283	-	0
16	मणिपुर	74	149	-	0
17	मेघालय	1361	116	-	0
18	मिज़ोरम	589	103	-	0
19	नगालैंड	2023	49	-	0
20	उड़ीसा	19522	2181	21918	26929
21	पुदुचेरी	618	-	-	2350
22	पंजाब	10738	982	-	0
23	राजस्थान	2981	1460	-	4800
24	तमिलनाडु	3697	-	-	12666
25	तेलंगाना	8431	1846	-	0
26	त्रिपुरा	1405	32	-	0
27	उत्तराखंड	6045	325	-	0
28	उत्तरप्रदेश	25165	6572	-	35000
29	पश्चिम बंगाल	15265	1153	-	6000
	कुल	269514	28747	22723	167631

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।